संख्या-60/2026/I/1285627/2026/001-71-2001/587/2019

प्रेषक,

ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ल,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान,
गोमतीनगर, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक-31-03-2026

विषयः-वित्तीय वर्ष 2025-26 में गोमतीनगर विस्तार के समीपस्थ स्थित राम प्रकाश गुप्ता मेमोरियल मातृ एवं शिशु चिकित्सालय (पूर्व नाम 200 शैय्या मातृ एवं शिशु चिकित्सालय) में कराये जाने वाले अतिरिक्त कार्य हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-4107/डा0रा0म0लो0आ0सं0/2026/सि0-119, दिनांक 28-03-2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा गोमतीनगर विस्तार में संस्थान के नवीन परिसर के समीपस्थ निर्मित 200 बेडेड महिला एवं बाल चिकित्सालय में कराये जाने वाले अतिरिक्त कार्य हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- प्रश्नगत प्रायोजना हेतु शासनादेश दिनांक 14-05-2018 द्वारा रू0 1358.83 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 543.532 लाख, शासनादेश दिनांक 27-08-2021 द्वारा रू0 135.883 लाख, दिनांक 03-12-202021 द्वारा रू0 339.70 लाख, शासनादेश दिनांक 30.03.2022 द्वारा धनराशि रू0 271.78 लाख तथा शासनादेश दिनांक-29-03-2025 द्वारा धनराशि रू0 67.94 लाख अवमुक्त की गयी। इस प्रकार अब तक कुल रू0 1,310.955 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

3- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के नवीन कैम्पस के निकट 200 शैय्या मातृ एवं शिशु चिकित्सालय में कराये जाने वाले अतिरिक्त कार्यो हेतु अवशेष धनराशि वित्तीय वर्ष 2025-26 में संस्थान के वृहद निर्माण मद के अनुदान संख्या-31 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 47.88 लाख (रुपये सैंतालीस लाख अट्ठासी हजार मात्र) (अनुदान संख्या-31 से धनराशि रू0 37.83 लाख एवं अनुदान संख्या-83 से धनराशि रू0 10.05 लाख) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैक खाते/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा जिस हेतु धनराशि अवमुक्त की गयी है।
3. कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेन्टेज चार्ज लिया जायेगा। आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
4. प्रायोजना में जी0एस0टी0 की वास्तविक धनराशि नियमानुसार देय होगी। तद्नुसार संशोधित प्रायोजना प्रस्ताव को पुनः शासन से परीक्षण कराये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
5. शासनादेश संख्या-88/2018/750/71-2-18-आर0एम0-28/2016, दिनांक 14-05-2018 एवं शासनादेश संख्या37 /2022/I/151410/2022-71-2001/587/2019, दिनांक 30 मार्च, 2022 में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6. वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-35/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुपालन का दायित्व/वित्त नियंत्रक/निदेशक, संस्थान का होगा।
7. धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, डा0 रा0म0लो0 आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलो पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 37,83,000 (रुपये सैंतीस लाख तिरासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031050400 डा. राममनोहर लोहिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, गोमती नगर , लखनऊ मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रुपये 10,05,000 (रुपये दस लाख पाँच हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 4210037892800 डा0 राममनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल सांइसेज, लखनऊ मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक-27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

संख्या-60/2026/1/1285627/2026/001-71-2001/587/2019, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. वित्त अधिकारी, डा0रा0म0लो0आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
8. प्रबन्धक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
9. वित्त ई-3
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।